

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 1970/फाल्गुन 25, 1891

No. 55]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 1970/PHALGUNA 25, 1891

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 16th March 1970

G.S.R. 444.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Foodgrains (Prohibition of Use in Manufacture of Starch) Order, 1966, namely:—

1. (1) This Order may be called the Foodgrains (Prohibition of Use in Manufacture of Starch) Amendment Order, 1970.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Foodgrains (Prohibition of Use in Manufacture of Starch) Order, 1966,—

(1) For clause 4A, the following clause shall be substituted, namely:—

“4A. *Manufacture of Starch out of Damaged or Deteriorated or Contaminated Foodgrains.*—(1) Notwithstanding anything contained in clause 3 or clause 4, no person shall use damaged, deteriorated or contaminated foodgrains in the manufacture of starch except under and in accordance with a permit issued by the Central Government or a State Government or an officer authorised by such Government, and unless such foodgrains have been certified by the said authority as unfit for human consumption.

(2) Before a permit is issued under sub-clause (1), representative samples of the suspect foodgrains shall be drawn and got analysed in a recognised foodgrains laboratory by the authority issuing the permit.

(2) After clause 4A, the following clause shall be inserted, namely:—

4. B. *Supervision of conversion of contaminated foodgrains into Inedible starch.*—(1) The conversion of contaminated foodgrains into inedible starch, in a starch factory, shall be supervised by an officer authorised for this purpose by the Central Government or a State Government.

(2) For the purpose of sub-clause (1), the permit issued under clause 4A shall specify whether or not the foodgrains used in the manufacture of starch are contaminated. If the foodgrains are contaminated, then the authority granting the permit shall accordingly inform the officer authorised to supervise under sub-clause (1).

Explanation.—Contaminated foodgrains are foodgrains which are compounded of toxic elements that cannot be removed and have become unfit or unsafe for human consumption.

[No. 205(GEN)(3)/6/70-PY II.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1970

सा० का० नि० 444 :—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार खाद्यान्न (स्टार्च के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश खाद्यान्न (स्टार्च के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) (संशोधन) आदेश, 1970 का जा सकेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त हो जाएगा ।

2. खाद्यान्न (स्टार्च के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1966 में—

(1) खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“4क. नुकसानग्रस्त या खराब हुए अथवा संदूषित खाद्यान्नों से स्टार्च का विनिर्माण :—

(1) खण्ड 3 या खण्ड 4 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति स्टार्च के विनिर्माण में नुकसानग्रस्त, खराब या संदूषित खाद्यान्नों का, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसा सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए अनुज्ञापत्र के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, और तब तक जब तक कि ऐसे खाद्यान्नों की वास्तव उक्त प्राधिकारी ने यह प्रमाणित न कर दिया हो कि वे मानवीय उपयोग के लिए अयोग्य हैं, उपयोग नहीं करेगा ।

(2) उपखण्ड (1) के अधीन अनुज्ञापत्र जारी करने से पूर्व अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा संविघ्न खाद्यान्नों के प्रतिनिधायी नमूने लिए जायेंगे और किसी भाव्यता प्राप्त खाद्यान्न प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण कराया जाएगा।”

(2) खण्ड 4क के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अस्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

4 ख. संवृषित खाद्यान्नों के अखाद्य स्टार्च में संपरिवर्तन का पर्यवेक्षण:—(1) किसी स्टार्च कारखाने में, संवृषित खाद्यान्नों के अखाद्य स्टार्च में संपरिवर्तन का पर्यवेक्षण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) उप-खण्ड (1) के प्रयोजन के लिए, खण्ड 4क के अधीन जारी किए गए अनुज्ञापत्र में यह विनिर्दिष्ट होगा कि स्टार्च के विनिर्माण में प्रयुक्त खाद्यान्न संवृषित हैं या नहीं। यदि खाद्यान्न संवृषित हों, तो अनुज्ञापत्र देने वाला प्राधिकारी, उपखण्ड (1) के अधीन पर्यवेक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा।

स्पष्टीकरण :—संवृषित खाद्यान्न वे खाद्यान्न हैं जो उन विषैले तत्वों का यौगिक है जिन्हें हटाया नहीं जा सकता और जो मानवीय उपभोग के लिए अयोग्य और अक्षेमकर हो गए हैं।

[सं० 205' (अन) (3)/6/70—पी० वाई०—II]

आर० बालासुब्रमण्यन,

संयुक्त सचिव।

